उत्तर प्रदेश शासन

महिला कल्याण अनुभाग-1

संख्या-20/2024/985/60-1-2024-1/15(11)/05

लखनऊ::दिनांक:: 16 जुलाई, 2024

<u>कार्यालय आदेश</u>

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, तत्कालीन जिला प्रोबेशन अधिकारी, बलिया (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के कार्यकाल में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पदगत दायित्वों का निर्वहन करते हुए की गयी वित्तीय अनियमितताओं/शासकीय धनराशि के दुरूपयोग आदि आरोपों हेतु श्री यादव को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4462(2)/60-1-05-1/15(11)/05, दिनांक 30.12.2005 द्वारा निलंबित करते हुए उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। श्री यादव के विरूद्ध प्रचलित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप सिद्ध पाये जाने पर शासन के कार्यालय आदेश संख्या-1383/60-1-2020-1/15(11)/05, दिनांक 05.01.2021 द्वारा "पेंशन से 50 प्रतिशत की कटौती 05 वर्ष तक किये जाने का दण्ड" प्रदान करते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.12.2005 द्वारा प्रचलित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी।

2- श्री यादव निलम्बन अवधि में ही अधिवर्षता आयु पूर्ण करते हुए दिनांक 31.08.2012 को सेवानिवृत्त हो गये थे। उनकी निलम्बन अवधि (दिनांक 30.12.2005 से दिनांक 31.08.2012) को अर्हकारी सेवा माने जाने तथा उक्त अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त देय वेतन/भत्तों के संबंध में आदेश/निर्देश निर्गत किये जाने हेतु निदेशक, महिला कल्याण के पत्र संख्या-2197/निदे0म0क0/स्था0/डी0पी0ओ0, सेवानिवृ0 (50)/2023-24, दिनांक 30.09.2023, पत्र संख्या-3474/निदे0म0क0/स्था0/डी0पी0ओ0, सेवानिवृ0(50)/ 2023-24, दिनांक 24.01.2024 तथा पत्र संख्या-191/निदे0म0क0/स्था0/जि0प्रो0अ0 (50)/2024-25, दिनांक 01.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

3- उक्त बिन्दु पर निर्णय लिये जाने से पूर्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-5 तथा फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड-दो, भाग-दो से चार के मूल नियम-54 में दी गयी व्यवस्थान्तर्गत श्री यादव को शासन के पत्र संख्या-223/60-1-2024-1/15(11)/05, दिनांक 31.05.2024 द्वारा इस आशय का नोटिस प्रेषित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया।

4- उक्त के क्रम में अपचारी अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 05.06.2024 प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि उनके विरूद्ध की गयी जॉच तथा निर्गत दण्डादेश उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के अनुरूप नहीं है और नियम विरूद्ध है।

5- उल्लेखनीय है कि श्री यादव द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 05.06.2024 का परीक्षण उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 में नियम-11 (1) तथा नियम-11 (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत किया गया, जिसमें पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री यादव द्वारा उक्त नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानानुसार निर्धारित समय में अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। अत: श्री यादव द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 05.06.2024 में उठाये गये बिन्दु कालबाधित होने के कारण नियमानुसार पोषणीय नहीं हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- चूंकि अपचारी अधिकारी श्री यादव को शासन के कार्यालय आदेश संख्या-1383/60-1-2021-1/15(11)/05, दिनांक 05.01.2021 द्वारा पेंशन से 50 प्रतिशत की कटौती 05 वर्ष तक किये जाने का वृहद दण्डादेश पारित किया गया है। इस प्रकार श्री यादव का निलम्बन औचित्यपूर्ण है। अत: श्री यादव को निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त देय वेतन/भत्तों को दिया जाना नियमानुकूल नहीं है। श्री यादव की निलम्बन अवधि को शासनादेश संख्या-सा-3-1713/दस-87-933/89, दिनांक 28.07.1989 में विहित प्राविधानानुसार कर्तव्यार्थ व्यतीत की गयी अवधि माना जायेगा।

भवदीय

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, बलिया।
6- जिला प्रोबेशन अधिकारी, बलिया।
7- श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, तत्कालीन जिला प्रोबेशन अधिकारी, बलिया (सम्प्रति सेवानिवृत्त), 321, कन्धारी बाजार, अयोध्या, पिन कोड-224001
8- गार्ड फाइल।

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।